

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या- 6/एफ1-305/2015 श्र0सं0- 112
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

मो० सलीम,
श्रम आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
गया ।

पटना, दिनांक :- 2.3.16

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-भाग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपन्न कोड-पी० 2230011120101) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृति संख्या-1442 दिनांक-15.5.15 के आलोक में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में 31 मार्च, 2016 तक व्यय के निमित्त राज्यांश की राशि प्रति बंधुआ मजदूर ₹ 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है। केन्द्रांश की राशि भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त दी जाएगी ।

प्राथमिक इकाईयाँ	जिला का नाम	कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28-01)	गया	64	640000	सहायक श्रमायुक्त, कु०श्र०, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक-127 दिनांक-16.02.16 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 15 एवं अनुसूचित जाति के 49 बंधुआ मजदूरों के लिए ।

कुल आवंटित राशि रूपये 6,40,000 /-(रूपये छः लाख चालीस हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.08.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि०(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।
- अनुसूचित जाति के लिए उपबंधित राशि समाप्त होने के कारण सामान्य जाति के लिए उपबंधित राशि में से अनुसूचित जाति के कुल 49 बंधुआ मजदूरों को लाभांशित करने हेतु राशि आवंटित की जा रही है।

विश्वासभूजन,

मो० सलीम

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापक-6/एफ1-305/2015 श्र0सं0-

112 पटना, दिनांक 2.3.16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

स्पीड
पोस्ट

ज्ञापक- 6/एफ1-305/2015 श्र0सं0

112 पटना, दिनांक 2.3.16

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध/जिला कोषागार पदाधिकारी, गया/ सहायक श्रमायुक्त कु०श्र०, गया/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /प्रशाखा पदा०-01 (श्रम पक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-79 (श्रम पक्ष) दि०- 29.02.16 के आलोक में /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जाएगा ।

मो० सलीम

श्रमायुक्त, बिहार।